

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 55/18

किशन सिंह पुत्र हाकिम सिंह तोमर आयु 38 वर्ष
निवासी ग्राम गजू की गढ़ी थाना पोरसा जिला
मुरैना म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद चौक

—अनावेदक

19-02-2018

आवेदक/अभियुक्त किशन सिंह की ओर से श्री वी0एस0 यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0) गोहद से मूल आपराधिक प्र0क्र0 170/13 प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त किशन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री वी0एस0 यादव ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरान्त प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पेश कर निवेदन किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक पूर्व पेशी पर बीमार हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी पर नहीं आ सका और न ही अपने अभिभाषक को सूचना दे पाया था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत जप्त कर दी और आवेदक के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी कर दिया गया। आवेदक ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में समर्पण किया था। आवेदक दिनांक 15.02.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के अलावा घर पर कमाने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है जेल में रहने से आवेदक का पूरा परिवार भूखो मर रहा है। आवेदक को जमानत मिलने पर नियमित रूप से प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः अभियुक्त को पुनः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का घोर

विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण में बार-बार जमानत का दुरुपयोग किया गया है एवं जमानत मिलने पर अभियुक्त पुनः फरार हो जायेगा तथा मामले में सहअभियुक्त पूर्व से फरार है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 170/13 के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु नियत पेशी दिनांक 17.11.16 को अभियुक्तगण के उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके जमानत मुचलके जप्त किये जाकर, उनके विरुद्ध अनेक बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने एवं उसके पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 20.12.17 को स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद आवेदक/अभियुक्त किशन सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित हुई एवं सहअभियुक्त सोनू सिंह की उक्त समस्त के बावजूद अद्यतन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हुई। इस प्रकार मामले में अभियुक्तगण के बिना किसी योग्य कारण के अनुपस्थित हो जाने से निर्णय हेतु नियत तिथि 17.11.16 को निर्णय घोषित नहीं हो सका है और प्रकरण के निराकरण में अभियुक्तगण के अनुपस्थित हो जाने से अनावश्यक एवं घोर विलंब कारित हुआ है। प्रकरण अंतिम तर्क हेतु 28.02.18 को नियत होने से प्रकरण के निराकरण में विलंब की कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है तथा सहअभियुक्त सोनू के निरंतर फरार होने से आवेदक/अभियुक्त किशन सिंह को पुनः जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में उसके पुनः फरार हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा दो बार जमानत की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक किशन सिंह को पुनः जमानत का लाभ का दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त किशन सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंडप्रसं० का निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड